



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1257]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 13, 2014/ज्येष्ठ 23, 1936

No. 1257]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 13, 2014/JYAISTHA 23, 1936

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जून, 2014

का.आ. 1513(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राजमार्ग को तत्संबंधी तदनुरूप स्तम्भ (2) में यथा-विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करती है।

राजमार्गों, जिन्हें अब इस अधिसूचना द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाना है, को तालिका के स्तम्भ (1), (2) और (3) में यथा-निर्दिष्ट क्रमशः नई क्रम संख्याओं, नई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्याओं तथा राष्ट्रीय राजमार्गों के विवरण के साथ उक्त अधिनियम की अनुसूची में अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा।

तालिका

क्र. सं.	नई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	राष्ट्रीय राजमार्गों का विवरण
(1)	(2)	(3)
"298	348 ए	महाराष्ट्र राज्य में जवाहर लाल नेहरू पत्तन ट्रस्ट के निकट रारा-348 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर राज्यीय राजमार्ग-54 के गावनफाटा खंड (किमी 5.300 से किमी 14.550), अमारा मार्ग (किमी 0.000 से किमी 6.500) को जोड़ते हुए और पालमबीच रोड के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग 1"

[फा. सं. एनएच-14012/21/2013-पीएंडएम]

माया प्रकाश, निदेशक (पीएंडबी)

पाद टिप्पण : राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) और इसकी अनुसूची, भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.नि.आ. 1180 तारीख 4 अप्रैल, 1957 द्वारा प्रकाशित की गई थी और इसे अधिसूचना संख्या का.आ. 689(अ), तारीख 4 अप्रैल, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था और पिछली बार संशोधन अधिसूचना संख्या का.आ. 1089(अ) तारीख 26 फरवरी, 2014 द्वारा किया गया था ।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th June, 2014

S.O. 1513(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby declares each of the highways specified in the column (3) of the Table below to be a national highway, as specified in the corresponding column (2) thereof.

The highways, now declared to be national highways by this notification, shall be deemed to be inserted in the Schedule to the said Act with the new serial numbers, the new national highways numbers and the description of the national highways thereof, as indicated in columns (1), (2) and (3) respectively, of the Table.

TABLE

Serial No.	New National Highway No.	Description of National Highways
(1)	(2)	(3)
"298	348 A	The highway starting from its junction with NH-348 near Jawahar Lal Nehru Port Trust connecting Gavanphata section of SH-54 (Km. 5.300 to km. 14.550), Amara Marg (km. 0.000 to km. 6.500) and terminating at its junction with Palm Beach Road in the State of Maharashtra."

[F. No. NH-14012/21/2013-P&M]

MAYA PRAKASH, Director (P&B)

Footnote : The National Highways Act, 1956 (48 of 1956) and the Schedule thereto was published in the Gazette of India *vide* notification number S.R.O. 1180 dated 4th April, 1957 and was substituted *vide* notification number S.O. 689(E), dated 4th April, 2011 and last amended *vide* notification number S.O. 1089(E), dated 26th February, 2014.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जून, 2014

का.आ. 1514(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 2 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खंड 3 उप-खंड (ii), संख्या का.आ. 689(अ), दिनांक 4 अप्रैल, 2011 के तहत प्रकाशित भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

अनुसूची में क्रम संख्या 161 और 163 के लिए और इससे संबंधित प्रविष्टियों में निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

तालिका

(1)	(2)	(3)	(4)
"161	348	महाराष्ट्र राज्य में पल्सपे के निकट रारा-48 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर और जवाहर लाल नेहरू पत्तन ट्रस्ट के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग ।	4 बी
163	548	महाराष्ट्र राज्य में कालमबोली के निकट रारा-48 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर और 5.67 किमी के निकट रारा-348 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग ।"	4 सी

[फा. सं. एनएच-14012/21/2013-पीएंडएम]

माया प्रकाश, निदेशक (पीएंडबी)

टिप्पण: राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) और इसकी अनुसूची, भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.नि.आ. 1180 तारीख 4 अप्रैल, 1957 द्वारा प्रकाशित की गई थी और इसे अधिसूचना संख्या का.आ. 689(अ), तारीख 4 अप्रैल, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था और पिछली बार संशोधन अधिसूचना संख्या का.आ. 1089(अ), तारीख 26 फरवरी, 2014 द्वारा किया गया था ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th June, 2014

S.O. 1514(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (2) of section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Road Transport and Highways published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* number S.O. 689(E), dated, the 4th April, 2011, namely:—

In the Schedule, for serial numbers 161 and 163, and entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

(1)	(2)	(3)	(4)
“161	348	The highway starting from its junction with NH-48 near Palspe and terminating at its junction with Jawahar Lal Nehru Port Trust in the State of Maharashtra.	4B
163	548	The highway starting from its junction with NH-48 near Kalamboli and terminating at its junction with NH-348 near km. 5.67 in the State of Maharashtra.”	4C

[F. No. NH-14012/21/2013-P&M]

MAYA PRAKASH, Director (P&B)

Footnote : The National Highways Act, 1956 (48 of 1956) and the Schedule thereto was published in the Gazette of India *vide* notification number S.R.O. 1180 dated 4th April, 1957 and was substituted *vide* notification number S.O. 689(E), dated 4th April, 2011 and last amended *vide* notification number S.O. 1089(E), dated 26th February, 2014.